



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2010/माघ 12, 1931

No. 39]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2010/MAGHA 12, 1931

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

एस्. ए. एस. नगर, 20 जनवरी, 2010

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की सिनेट, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 28 और 29 के अनुसरण में, मास्टर डिग्री, डॉ. ऑफ फिलोसोफी से संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्यापन पाठ्यक्रम, ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रक्रियाओं, संदत्त की जाने वाली फीस, मूल्यांकन की पद्धति, विभिन्न समितियों की स्थापना, परीक्षक बोर्ड और डिग्रियों के अधि निर्णय को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित अध्यादेश (संशोधित) 2010 बनाती है और यह निर्देश देती है कि उक्त अध्यादेश किसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

अ. प्रवेशों के लिये पात्रता

(1) मास्टर्स कार्यक्रम : मास्टर ऑफ साइंस (फार्म); मास्टर ऑफ फार्मेसी; मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी (फार्म); मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्म)

विभाग/डिप्लोमा	योग्यता
शासी मंडल की 24 मार्च, 2007 को आयोजित 46वाँ बैठक द्वारा संशोधित	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री)
मेडिसिनल कैमिस्ट्री	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री)
नैचुरल प्रोडक्ट्स	बी. फार्म.; बी.ए.एम.एस.; एम.एस.सी. (बोटनी)
ट्रैडिशनल मेडिसिन	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑर्गेनिक/एनालिटिकल कैमिस्ट्री)
फॉर्मस्युटिकल एनालिसिस	बी. फार्म.; बी.बी.एस.सी./एम.बी.बी.एस.
फॉर्मकोलोजी एवं टॉक्सिकोलॉजी	बी. फार्म./बी.बी.एस.सी./एम.एस.सी./फार्माकोलॉजी/टॉक्सिकोलॉजी/लाईफ साइंस/बायोकैमिस्ट्री/मैडिकल बायोटेक्नोलॉजी/जूलॉजी); एम.बी.बी.एस.
रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी	बी. फार्म.
फार्मास्यूटिक्स	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (बायोलॉजिकल साइंस)
बायोटेक्नोलॉजी	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑर्गेनिक/फिजिकल फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री). एम.एस.सी./बी.टेक.
फार्माकोइनफरमैटिक्स	

		(बायोइनफरमैटिक्स); एम.एस.सी. (बायोकैमिस्ट्री/ बायोटेक्नोलॉजी/ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी)
	फार्मसी प्रैक्टिस	बी.फार्म.
	फार्मास्यूटेकल टेक्नोलॉजी (बायोटेक्नोलॉजी)	बी.फार्म.; एम.एस.सी. (लाईफ साइंसिस)
	फार्मास्यूटेकल टेक्नोलॉजी (फार्मस्यूटेशंस)	बी.फार्म.
	फार्मास्यूटेकल टेक्नोलॉजी (बल्क ड्रग्स)	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री); बी.टेक.(कैमिकल इंजीनियरिंग) या समतुल्य
	एम.बी.ए. (फार्म.)	बी.फार्म./ बी.टेक.(कैमिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य); एम.एस.सी. (कैमिकल/ लाईफ साइंसिस)

(2) पी.एच.डी. कार्यक्रम:

	विभाग/ डिप्लोमा	योग्यता
	मेडिसिनल कैमिस्ट्री	एम.एस.(फार्म) (मेडिसिनल कैमिस्ट्री / नैचुरल प्रोडक्ट्स); एम. फार्म. (फार्मास्यूटेकल कैमिस्ट्री);एम.टेक.(फार्म.) (बल्क ड्रग्स); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री)
	नैचुरल प्रोडक्ट्स	एम.एस.(फार्म) (नैचुरल प्रोडक्ट्स/ मेडिसिनल कैमिस्ट्री/ ट्रेडिशनल मेडिसिन); एम.फार्म. (फार्मास्यूटेकल कैमिस्ट्री/ फार्माकोगनौसी); एम.टेक. (फार्म.) (बल्क ड्रग्स); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री)
	फॉर्मास्यूटेकल एनालिसिस	एम.एस.(फार्म) (फॉर्मास्यूटेकल एनालिसिस) ; एम. फार्म. (फॉर्मास्यूटेकल एनालिसिस); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक / एनालिटिकल कैमिस्ट्री)
	फॉर्माकोलोजी एवं टॉक्सिकॉलोजी	एम.एस.(फार्म) (फॉर्माकोलोजी एवं टॉक्सिकॉलोजी/ बायोटेक्नोलॉजी/ रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी); एम. फार्म. (फॉर्माकोलोजी) ;एम.एस.सी. (फॉर्माकोलोजी/ टॉक्सिकॉलोजी/ जूलॉजी/ बायोकैमिस्ट्री/ मैडिकल बायोटेक्नोलॉजी/ माइक्रोबायोलॉजी); एम.डी. (फॉर्माकोलोजी); एम.वी.एस.सी.

	फार्मास्यूटिक्स	(फॉर्माकोलोजी/ पैथोलॉजी/ बायोटैक्नोलॉजी) एम.एस.(फार्म) (फार्मास्यूटिक्स/ बायोटैक्नोलॉजी/ फॉर्माकोलोजी); एम. फार्म. (फार्मास्यूटिक्स/ फार्मयूलेशंस); एम.टेक. (बायोमैडिकल इंजीनियरिंग/ बायोटैक्नोलॉजी/ कैमिकल इंजीनियरिंग)
	बायोटैक्नोलॉजी	(मेडिसिनल कैमिस्ट्री/ नैचुरल प्रोडक्ट्स/ फॉर्माकोलोजी एवं टॉक्सिकॉलोजी/ फार्मयूलेशंस/ बायोटैक्नोलॉजी/ फार्मास्यूटिक्स/ फार्माकोइनफरमैटिक्स) में एम.एस.(फार्म) या एम. फार्म. या एम.टेक. (फार्म.); (बायोटैक्नोलॉजी/ लाईफ साईंसिस/ कॉम्प्यूटेशनल साईंसिस) में एम.ई. या एम. टेक.;
	फार्माकोइनफरमैटिक्स	बायोलॉजिकल साईंसिस (बायोटैक्नोलॉजी/ बायोकैमिस्ट्री/ बॉटनी/ जूलॉजी/ फिजियोलॉजी/ लाईफ साईंसिस) में एम.एस.सी. कैमिस्ट्री (आरगेनिक) में एम.एस.सी.; फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री में एम.एस.सी.; कॉम्प्यूटेशनल साईंसिस में एम.एस.सी.; एम. वी.एस.सी.; एम.सी.ए.
	फार्माकोइनफरमैटिक्स	एम.एस.(फार्म) (फार्माकोइनफरमैटिक्स/ मेडिसिनल कैमिस्ट्री/ नैचुरल प्रोडक्ट्स); एम. टेक.(फार्म.) (बल्क ड्रग्स); एम.एस.सी./एम. टेक. (बायोइनफरमैटिक्स); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक/ फिजिकल/ फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री/ बायोकैमिस्ट्री/ बायोफिजिक्स/ बायोटैक्नोलॉजी/ माइक्रोबायोलॉजी)
	फार्मसी प्रैक्टिस	एम. फार्म. (फार्मसी प्रैक्टिस/ सामूदायिक फार्मसी/ हॉस्पिटल फार्मसी/ क्लीनिकल फार्मसी)
	फार्मास्यूटिकल बैक्नोलॉजी (बायोटैक्नोलॉजी)	एम.एस.(फार्म); एम. फार्म.; एम.एस.सी. (लाईफ साईंसिस); एम.टेक.(फार्म.) (बायोटैक्नोलॉजी)
	फार्मास्यूटिकल बैक्नोलॉजी (फार्मयूलेशंस)	एम.एस.(फार्म) (फार्मास्यूटिक्स/ बायोटैक्नोलॉजी/ फॉर्मास्यूटिकल एनालिसिस); एम. फार्म. (फार्मास्यूटिक्स/ फार्मयूलेशंस); एम.टेक.(फार्म.) (बायोटैक्नोलॉजी)
	फार्मास्यूटिकल बैक्नोलॉजी (बल्क ड्रग्स)	एम.एस.(फार्म); एम.टेक.(फार्म.); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री)

सिनेट की 6 नवंबर, 2009 को आयोजित 13वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार	(अ)	न्यूनतम 60% अंकों सहित [कोई अन्य सुसंगत अर्हता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 55% और शारीरिक निःश्वस्त वाले अभ्यर्थियों के लिए 50%] या दस बिंदु के मापमान पर कोई न्यूनतम संचयी श्रेणी बिन्दु औसत का 6.75 [6.25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 5.75 शारीरिक निःश्वस्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए] जहां कहीं अक्षर श्रेणियां अधिनिर्णीत की जाती हैं, अंक या समतुल्य, जैसा अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अवधारित किया गया है।
	(ब)	बी.बी.एस.सी./एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./एम.बी.एस.सी./एम.डी. डिग्री धारकों के अलावा गेट/नेट मुख्य योग्यता निर्धारित की गई है।
	(द)	ए.आई.सी.टी.सी द्वारा संचालित किये जाने वाले कोई भी स्टैंड-बाई परीक्षा द्वारा फार्मिसी हेतु आवश्यक गेट की परीक्षा बदली जाती है।
ब	5	प्रायोजित अभ्यर्थी-
शासी मंडल की 24 मार्च 2007 को आयोजित 46वीं बैठक द्वारा संशोधित	(1)	जहां कहीं अंक अधिनिर्णीत किए जाते हैं वहां योग्यता प्राप्त कुल न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित या जहां कहीं अक्षर श्रेणियां या समतुल्य अधिनिर्णीत की जाती हैं वहां 10 बिंदु मापमान पर 6.75 के न्यूनतम संचयी श्रेणी बिंदु औसत सहित, अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड (बी.एस.आर.) द्वारा यथा अवधारित और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संस्थान द्वारा दी गई परीक्षा या साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के कार्यपालन को ध्यान में रखते हुए, मूल डिग्रियां धारण करने वाले लोक या प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों, सरकारी विभागों, अनुसंधान और विकास संगठनों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में कुल सीटों में से 5 प्रतिशत सीटें उपलब्ध होंगी।
स	9	आवेदनों की छंटनी-
शासी मंडल की 24 मार्च 2007 को आयोजित 46वीं बैठक द्वारा हटाया गया	(3)	हटाया गया
द	19	'आई' श्रेणी
	(अ)	निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र को आई-श्रेणी से पारितोषित किया जायेगा:-
	(1)	संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र के अंतर्गत यदि कोई छात्र/छात्रा किसी कारणवश जिसमें आकस्मिक बीमारी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पाठ्यक्रम की सभी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। यदि कोई छात्र बीमारी या दुर्घटना के समय संस्थान से बाहर है, तो छात्र का चिकित्सा प्रमाणपत्र संबंधित जिले के उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के समतुल्य पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। संस्थान के पास उस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा तथा इस संबंध में संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

	(2)	यदि संबंधित पाठ्यक्रम समन्वयक केस की परिस्थितियों को सही मानता है तो (अ) के अनुसार उपरोक्त को अपना हाजिरी रिकार्ड प्रमाणित करवाना होगा तथा इस प्रमाणीकरण के आधार पर, संबंधित विभागाध्यक्ष इस केस को संकायाध्यक्ष के पास छात्र को आई ग्रेड दिलवाने के लिए सिफारिश करेगा। संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत, अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना की एक प्रति सीनेट को पुष्टि के लिए दी जाएगी।
	(3)	यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिशत से अधिक है लेकिन वह पाठ्यक्रम की अंतिम छमाही परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपरोक्त (अ) के अनुसार, छात्र को आई ग्रेड से पारितोषित किया जाएगा तथा उसे पाठ्यक्रम के अंतिम छमाही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिसमें वह अनुपस्थित था, तथा अगली छमाही में 10 दिनों के अंतिम दिन की मध्यावधि परीक्षा में जो कि छात्र के आवेदन के आधार पर कोर्स समन्वयक द्वारा उचित तरीके से प्रमाणित होगा तथा विभागाध्यक्ष द्वारा संकायाध्यक्ष को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।
	(4)	उपरोक्त (अ) में दिए गए कारणों के अनुसार यदि किसी छात्र की सेमेस्टर में हाजिरी 50 से 75 प्रतिशत के बीच होगी तो कोर्स समन्वयक विभागाध्यक्ष के परामर्श के अनुसार छात्र को उन विषयों पर नियत कार्य जिसमें वह अनुपस्थित था के जरिये अपनी हाजिरी को पूरा करने की अनुमति देगा तथा उस नियत कार्य का रिकार्ड संभाल कर रखा जाएगा। संकायाध्यक्ष द्वारा छात्र को अनुमति दी जाएगी, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि छात्र ने अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए हाजिरी से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
	(ब)	मध्यावधि परीक्षा: यदि कोई छात्र किसी कारणवश मध्यावधि परीक्षा में अनुपस्थित होता है तो, कोर्स समन्वयक छात्र को शून्य अंक प्रदान करेगा।
	(स)	पूरक परीक्षा: (1) यदि छात्र को अधिकतम दो पाठ्यक्रमों में ई या एफ ग्रेड प्राप्त होता है तो, पैरा 18 के अनुसार छात्र को पूरक परीक्षा में बैठना जरूरी है। परीक्षा अगले सेमेस्टर से पहले मध्यावधि परीक्षा के 10 दिनों के अंतिम दिन के दौरान आयोजित की जाएगी।
	(2)	आई ग्रेड के अलावा दिए गए कारणों को छोड़कर, यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिशत या उससे अधिक है परंतु यदि वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम की परीक्षा देने में असमर्थ है, तो छात्र को सेमेस्टर के अंतर्गत जब परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, तब आगामी वर्ष की अंतिम परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। छात्र को दोबारा कक्षाएं लगाने की जरूरत नहीं होगी तथा वह अनुवर्ती सेमेस्टर का कोर्स/ व्याख्यान साथ-साथ में जारी रख सकता है।

	(3)	यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिशत से कम है तथा वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम की परीक्षा देने में असमर्थ है, तो वह आगामी वर्ष में पाठ्यक्रम को दोहराएगा जब पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। छात्र कक्षाओं में तभी उपस्थित होगा, जब वह समेस्टर की सभी जरूरतों को पूरा करेगा तथा दोबारा से मध्यावधि एवं अंतिम परीक्षा में उपस्थित होगा।
	(4)	यदि किसी छात्र की हाजिरी 50 प्रतिशत से नीचे है तो, आगामी वर्ष में छात्र को पाठ्यक्रम में दोबारा से उपस्थित होना पड़ेगा, समेस्टर में जब पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

प्रो. के. के. भूयानी, कार्यवाहक निदेशक

[विज्ञापन III/4/355-एस/09-असा.]

NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH

NOTIFICATION

S.A.S. Nagar, the 20th January, 2010

In pursuance of Sections 28 and 29 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Senate of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) hereby makes the following amendments in its Ordinance, regulating the courses of study offered by the Institute relating to the Degree of Masters' and Doctor of Philosophy, admission to such courses, procedures for admission, fees to be paid, method of evaluation, establishment of various committees, Board of examiners, and award of Degrees and henceforth shall be called as Ordinance (Amended) 2010 and directs that the said Ordinance shall come into force with effect from the date of its publication, namely:-

A. 4. Eligibility for Admissions

(1) Masters' Programme: Master of Science (Pharm.); Master of Pharmacy; Master of Technology (Pharm.); Master of Business Administration (Pharm.)

[Modified as per decision of 46th meeting of BOG held on 24th March, 2007]

Department/Discipline	Eligibility
Medicinal Chemistry	B.Pharm.; M.Sc.(Organic Chemistry)
Natural Products	B.Pharm.; M.Sc.(Organic Chemistry)
Traditional Medicine	B.Pharm.; B.A.M.S.; M.Sc.(Botany)
Pharmaceutical Analysis	B.Pharm.; M.Sc.(Organic/ Analytical Chemistry)
Pharmacology & Toxicology	B.Pharm.; B.V.Sc.; M.B.B.S.
Regulatory Toxicology	B.Pharm./ B.V.Sc./ M.Sc.(Pharmacology/ Toxicology/ Life Sciences/ Biochemistry/ Medical Biotechnology/Zoology); M.B.B.S.
Pharmaceutics	B.Pharm.
Biotechnology	B.Pharm.; M.Sc. (Biological Sciences)
Pharmacoinformatics	B.Pharm.; M.Sc.(Organic/Physical Pharmaceutical Chemistry); M.Sc./B.Tech. (Bioinformatics); M.Sc. (Biochemistry/ Biotechnology/ Molecular Biology/ Microbiology)
Pharmacy Practice	B.Pharm.
Pharmaceutical Technology (Biotechnology)	B.Pharm.; M.Sc. (Life Sciences)
Pharmaceutical Technology (Formulations)	B.Pharm.

Pharmaceutical Technology (Bulk Drugs)	B.Pharm; M.Sc.(Organic Chemistry); B.Tech.(Chemical Engineering) or equivalent
M.B.A (Pharm.)	B.Pharm./B.Tech. (Chem. Engg. Or Equivalent); M.Sc. (Chemical /Life Sciences)

(2) Ph.D. Programme

[Modified as per decision of 46th meeting of BOG held on 24th March, 2007]

Department/Discipline	Eligibility
Medicinal Chemistry	M.S.(Pharm.) (Medicinal Chemistry/Natural Products); M.Pharm.(Pharmaceutical Chemistry); M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs); M.Sc. (Organic Chemistry)
Natural Products	M.S.(Pharm.) (Natural Products/ Medicinal Chemistry/ Traditional Medicines); M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry/ Pharmacognosy); M.Tech.(Pharm.) (Bulk Drugs); M.Sc. (Organic Chemistry)
Pharmaceutical Analysis	M.S.(Pharm.) (Pharmaceutical Analysis); M.Pharm. (Pharmaceutical Analysis); M.Sc. (Organic/ Analytical Chemistry)
Pharmacology & Toxicology	M.S.(Pharm.) (Pharmacology & Toxicology/ Biotechnology/ Regulatory Toxicology); M.Pharm. (Pharmacology); M.Sc. (Pharmacology/ Toxicology/ Zoology/ Biochemistry/ Medical Biotechnology/ Microbiology); M.D.(Pharmacology); M.V.Sc. (Pharmacology/ Pathology/ Biotechnology)
Pharmaceutics	M.S.(Pharm.) (Pharmaceutics/ Biotechnology/ Pharmacology); M.Pharm. (Pharmaceutics/ Formulations); M.Tech. (Biomedical Engineering/ Biotechnology/ Chemical Engineering)
Biotechnology	M.S.(Pharm.) or M.Pharm. or M.Tech. (Pharm.) in (Medicinal Chemistry/ Natural Products/ Pharmacology & Toxicology/ Formulation/ Biotechnology/ Pharmaco-informatics); M.E. or M.Tech. in (Biotechnology/ Life Sciences/ Computational Sciences); M.Sc. in Biological Sciences (Biotechnology/ Biochemistry/ Botany/ Zoology/ Physiology/ Life Sciences) M.Sc. in Chemistry (Organic) ; M.Sc. in Pharmaceutical Chemistry; M.Sc. in Computational Sciences; M.V.Sc.; MCA
Pharmacoinformatics	M.S.(Pharm.) {Pharmacoinformatics/ Medicinal Chemistry, / Natural Products}; M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs); M.Sc./ M.Tech. (Bioinformatics); M.Sc. (Organic/ Physical/ Pharmaceutical Chemistry/ Biochemistry/ Biophysics/ Biotechnology/ Microbiology)

Pharmacy Practice	M.Pharm. (Pharmacy Practice/ Community Pharmacy/ Hospital Pharmacy/ Clinical Pharmacy)
Pharmaceutical Technology (Biotechnology)	M.S.(Pharm.); M.Pharm.; M.Sc. (Life Sciences); M.Tech.(Pharm.)(Biotechnology)
Pharmaceutical Technology (Formulations)	M.S.(Pharm.) (Pharmaceutics/ Biotechnology/ Pharmaceutical Analysis); M.Pharm. (Pharmaceutics/ Formulations); M.Tech.(Pharm.)(Biotechnology)
Pharmaceutical Technology (Bulk Drugs)	M.S.(Pharm.); M.Tech. (Pharm.); M.Sc. (Organic Chemistry)

- (a) A minimum of 60% marks [55% for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST) and 50% for Physically handicapped (PH) candidates] or with a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 6.75 [6.25 for SC/ST and 5.75 for PH] on a 10-point scale (wherever letter grades are awarded) in the above qualifying degree or equivalent, as determined by the Board of Studies and Research (BSR).
- (b) GATE/NET is essential qualification except for B.V.Sc/M.B.B.S/B.A.M.S/M.V.Sc/M.D degree holders.
- (c) GATE as applicable to Pharmacy will be replaced by whatsoever standby examination proposed to be conducted by AICTE.

[Inserted as per the decision of 13th meeting of Senate held on 6th November, 2009]

B.

5. Sponsored Candidates-

[Modified as per the decision of 46th Meeting of BOG held on 24th March 2007]

- (1) 5% of seats over and above the total number of seats in all programmes are available for candidates sponsored by Public or Private Sector undertakings, Government Departments, Research and Development Organisations etc. holding qualifying degree with a minimum of 60% marks in aggregate wherever marks are awarded or CGPA of 6.75 on a 10 point scale wherever grades are awarded or equivalent, as determined by the Board of Studies (BSR) and taking into consideration the performance of the candidates in the test and interview held by the Institute to the various programmes.

C.

9. Short listing of Applications-

[Deleted as per the decision of 46th Meeting of BOG held on 24th March 2007]

- (3) Deleted

D.

19. 'I' Grade

- (a) The I-Grade shall be awarded to a student under the following circumstances:-

- (1) If a student fails to fulfil all the requirements of the course(s) because of his/her sudden illness or mishap/accident supported by Medical Certificate issued by Medical Officer of the Institute. However, if the student is outside the campus at the time of illness or mishap/accident, the Medical Certificate need to be issued by a Medical Officer of the rank of the Deputy Chief Medical Officer or above of the concerned district. The Institute reserves the right to accept or reject such an application and the decision of the Dean shall be final in this respect.

[Revised as per the decision of 46th Meeting of BOG held on 24th March 2007]

- (2) The concerned course co-ordinator on being convinced about the circumstances of the case as per a) above should certify the attendance records and based on this certification, HOD concerned should recommend the case to the Dean for award of I-Grade to the student. After approval of the Dean, a notification will be issued. A copy of the notification will be endorsed to Senate.
- (3) If a student has attendance above 75% in the course(s), but is unable to appear in End-semester examination in the course(s) for reasons given at a) above, the student shall be awarded I-grade and shall be permitted to appear in the End-Semester examination in course(s), in which he/she was absent, within 10 days of the last day of the Mid-term examination in the following semester on the basis of the application made by the student that is duly certified by the course coordinator and recommended by the Head of the Department to the Dean.
- (4) If a student has attendance between 50% and 75% during the semester because of reasons specified at a) above, the course coordinator in consultation with the Head of the Department may permit the student to fulfil requirement of his/her attendance by giving assignments on topics not attended by the student and a record of the assignments shall be maintained. The student shall be permitted by the Dean, after ensuring that necessary formalities pertaining to attendance have been fulfilled by the student above to appear in the end-semester examination.

(b) Mid-term Examination:

If a student in case of any exigency or otherwise remains absent in the mid-term examination, the course coordinator shall assign 0 marks to the student.

(c) Supplementary Examination:

- (1) If a student secures E or F grade(s) in not more than 2 courses, he/she shall be required to sit in a supplementary examination as per para 18. The examination will be held within 10 days of the last day of the Mid-term examination in the following semester.
- (2) If a student has attendance of 75% or more but is unable to appear in examination in the course(s) for reasons other than those specified for awarding I-grade, the student shall be required to appear in the end-semester examination next year, in the semester when the examination for the course(s) is being offered. The student shall not be required to attend the classes afresh and can simultaneously pursue course(s)/dissertation of the subsequent semester(s).
- (3) If a student has attendance of less than 75% and fails to appear in the examination in course(s), he/she will be required to repeat the course(s), next year, in the semester when the course(s) is being offered. The student shall attend classes, complete all requirements of the semester, appear in mid-term and end-semester examination afresh.
- (4) If the attendance of the student has fallen below 50%, the course(s) need to be repeated next year, in the semester when the course(s) and examination is/are being offered, as detailed above.

Prof. K. K. BHUTANI, Director (Offg.)

[ADVT. III/4/355-S/09-Exty.]